संख्या-05/2016-566/ 62-1-2016-1109/2014

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 20 मई, 2016

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत भूगर्भ जल विभाग के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में 14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों /मोटर गाडियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि से वाहन क्रय करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 93जी/भू0ज0वि0/बी-1/डब्लू, दिनांक 27 अप्रैल ,2016 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुंआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 20165-17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2702-लघुसिंचाई-आयोजनेत्तर-02-भूजल-05-अन्वेषण-03-भूगर्भ जल चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–13 के अधीन ''लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-02-भूजल-005-अन्वेषण-03-भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढीकरण योजना में मद-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 8.50 लाख (रूपया आठ लाख पचास हजार मात्र) में से धनराशि रू0 664102/-लाख (रूपया छ लाख चौसठ हजार एक सौ दो मात्र) से रिप्लेसमेंट हेतु एक निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर **BOI SLE 2wd BS4 AC** वाहन क्रय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीक़ति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं –

(1) शासनादेश संख्या-03/2016/452/62-1-2016-1104/2015, दिनांक 12-4-2016 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाय।

(2) प्रतिस्थापन हेतु वाहन का क्रय डी0जी0एस0एण्डडी0 की दरों पर किया जायेगा।

(3) वाहन क्रय के संबंध में परिवहन विभाग के शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर 1986 में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रतिस्थापन के आधार पर वाहन क्रय के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनियिश्चत करेंगे।

(5) यह भी सुनिश्चितकरेंगे कि निश्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कर दी गयी है तथा इसकी डुप्लीकेसी नहीं की गयी है।

(6) मितव्ययता के दृष्टिगत वाहन की नितान्त आवश्यकता/अपरिहार्यता होने पर प्रतिस्थापन हेतु वाहन क्रय किया जाय।

(7) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाय।

2- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–13 के अधीन ''लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-02-भूजल-005-अन्वेषण-03-भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढीकरण योजना में मद-14-मोटर गाडियों का क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रेणुका कुमार
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 566(1) /2016/62-1-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनु0-2, उ0प्र0शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक), अनु0-1, उ0प्र0शासन।
6- निदेशक, सूचना।
7- एन0आई0सी0 की प्रति।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(ओम नारायण अहिरवार)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in